ctV 2010 & c<k lsokdj dk nk;jk

Inder Chand Jain,Vice Chairman,Direct Taxes,IIA & Divisional Chairman, IIA-Agra

पष्चिमी देषों की तर्ज पर हमारे देष में भी सेवाकर का वर्ड्ढ 1994 से विधिनिर्माण हुआ। प्रारम्भ में तो मात्र तीन सेवायें ही सेवाकर के क्षेत्र में ली गयी पर प्रतिवर्ड्ढ इन सेवाओं की संख्या व क्षेत्र में विस्तार होता गया। वर्तमान में 109 सेवाओं पर सेवा कर वसूला जा रहा है और अब कुछ मूलभूत आवष्यक सेवायें पर भी सेवाकर आरोपित हो रहा है जैसे कुछ विषिष्ट अधिवक्ता व चिकित्सक ही अब सेवाकर के दायरे में आते है। जब सेवाकर एक नयी परिकल्पना थी तो उसका पुरजोर विरोध भी होता है परन्तु अब सेवाकर हमारी जीवन षैली का हिस्सा बन गया हैं। उच्च वर्ग ही नहीं मध्यम वर्ग की जीवन षैली के घटक भी टेलीफोन, मोबाइल, बैंक चार्ज एवं बीमा की रकम इत्यादि पर खासा सेवाकर र्निविरोध भरते है।

इस वर्ड्ढ बजट 2010 में वित्तमंत्री ने न सिर्फ 8 नई सेवाओं को सेवाकर के दायरे मे ला दिया है वरन् 9 मौजूदा सेवाओं के विस्तार को भी बढ़ा दिया है। यही नहीं 3 सेवाओं में मिली छूट को वापिस ले लिया गया हैं अथवा उनमें ऐसे संषोधन कर दिये गये है जिससे मिलने वाली छूटे निष्प्रवाही हो गयी है। जिन मौजूदा सेवाओं के आरोपण पर विधिक जंग उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय में चल रहीं थी उन्हें भी पिछली तिथि से संषोधित किया जाना प्रस्तावित है ताकि वे मामले भी स्वतः ही न्यायालय के कार्यक्षेत्र से बाहर हो जाय और सेवाकर का परिमाण भी बढ़ जाये। यहाँ यह विचारणीय है कि मंहगाई और मुद्रा–स्फीति की मार मे जकड़ी भारतीय अर्थव्यवस्था में यह कदम निष्चित ही अधिक मँहगाई बढ़ाने में कारक ही सिद्ध होंगे। बजट में प्रस्ताविक सकल कर संग्रह का सेवाकर ष्नेः ष्नेः एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता जा रहा है। सेवाकर संग्रह अब व्यक्तिगत आयकर अथवा उत्पाद कर के समकक्ष होता जा रहा है और वह दिन दूर नहीं जब सेवाकर संग्रह आयकर या उत्पादकर को पीछे छोड़ देगा। जी.एस.टी का विधिनिर्माण 1 अप्रैल 2011 से हो जाना निष्चित हैं और तब सेवाकर विस्तार भी अभूतपूर्व रूप से बढ़ जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि सरकार वित्त वर्ड्ढ 2010–11 में 68,000 करोड़ रूपया सेवाकर के तहत् प्राप्ति का अनुमान लगा रही है।

यह प्रासंगिक है कि व्यापारिक व्यवसायिक किराये पर वर्ड्ढ 2007 से सेवाकर लगा दिया गया था। अनेकों भवन स्वामियों ने उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया कि किराये में 'सेवा' निहित नहीं है और उस पर लगने वाला सेवाकर अविधिक ओर असंवैधानिक है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अप्रैल 2009 में भवन स्वामियों के पक्ष में निर्णय दिया। नतीजतन किराये पर सेवाकर की वसूली थम गयी। वित्तमंत्री ने बजट 2010 में व्यवसायिक किराये को 1 जून 2007 से पिछले प्रभाव से सेवाकर के दायरे में पुनः स्पष्टतः षामिल कर लिया हैं। इस प्रावधान से व्यवसायिक किराये को विधिक रूप से सेवा मान लिया गया है। इस प्रावधान द्वारा एक ओर जहाँ भम्र की स्थिति समाप्त हो गयी है, वहीं इस विवाद से जनित वाद भी समाप्त हो जायेंगे परन्तु

यह विचारणीय है कि क्या विधायिका द्वारा न्यायपालिका द्वारा पारित विधिनकूल निर्णयों को नवीन विधिनिर्माण द्वारा पिछली तिथि से विधिषून्य करना विधिक व न्यायोचित है?

यही नहीं बिल्डरों द्वारा निर्मित किये जा रहे आवासीय फ्लेटों को भी सेवाकर के कार्यक्षेत्र में ले लिया गया है। यूं तो आवासीय फ्लेटों के निर्माण पर सेवाकर वर्ड्ड 2005 में भी आरोपित किया गया था परन्तु बिल्डर संस्थाओं द्वारा दिये गये प्रतिवेदन पर सरकार ने माना था कि यह मामले अचल संपत्ति अन्तरण अधिनियम 1882 के तहत आते है और उन पर सेवाकर देय नही हैं। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा स्पष्ट दिषा निर्देष भी जारी कर दिये गये थे। इसके बावजूद मौजूदा बजट द्वारा यह प्रस्तावित किया गया हैं कि यदि निर्माण पूर्ण होने से पूर्व कोई खरीददार बिल्डर को अग्रिम धनराषि का भुगतान कर देता है तो अर्पामेन्ट की कीमत के 33 प्रतिषत भाग पर सेवाकर देय होगा। यही नहीं जो रकम बिल्डर प्रिफरेन्षल लोकेषन चार्ज के नाम पर वसूलता है उस पर भी अब सेवाकर की अदायगी करनी होगी। यह भी तय है कि इस सेवाकर की वूसली बिल्डर द्वारा खरीददार से ही की जायेगी। इससे अनुमानतः फ्लेटों की कीमत में सीधी तौर पर 4 प्रतिषत का इजाफा हो जायेगा। गौरतलब हैं कि आवासीय भवन प्रत्येक मनुष्य की मूलभूत आवष्यकता है न कि विलासिता की कोई वस्तु। सरकार भी खरीददारों के हित में गृह निर्माण को प्रोत्साहित करने का भरपूर प्रयास कर रही है। इस बजट में भी 10 लाख तक के गृह आवास ऋण पर 1 प्रतिषत अनुदान प्रस्तावित है। कैसी विडम्बना है कि एक ओर जहाँ सरकार गरीबों एवं मध्यम वर्ग के लिये मकान मुहैया कराने के लिये इन्दिरा आवास योजना एवं राजीव आवास योजना ला रही है, 10 लाख तक के आवास ऋण पर 1 प्रतिषत की अनुदान दे रही है, वहीं गरीब एवं मध्यम वर्ग पर सेवाकर की यह अप्रत्याषित मार कहाँ तक उचित एवं न्यायसंगत है। वित्तमंत्री को इस बारे में पुर्नविचार करने की आवष्यकता है। गृह निर्माण उद्योग संगठनों का यह सुझाव हैं कि कम से कम 10 लाख कीमत तक के मकानों/फ्लेटों को सेवाकर की देयता से अवमुक्त किया जायें ताकि गरीब एवं मध्यम वर्ग का घर का सपना बाधित न हो।

अभी तक रेलवे के माध्यम माल ढुलाई को सेवा कर के दायरे से मुक्त रखा गया था पर अब उस पर भी सेवाकर आरोपित किया जाना प्रस्तावित है। यही नहीं अभी तक घरेलू व अर्न्तराष्ट्रीय उड़ानों पर बिजनेस एवं प्रथम श्रेणी पर ही सेवा कर लगता था पर अब यह सभी श्रेणी के लिये लागू कर दिया गया है। इसी प्रकार बीमा उद्योग पर फंड प्रबंधन शुल्क को भी बढ़ा दिया है। सूचना प्रोद्योगिकी क्षेत्र में भी सेवाकर के दायरे का भी विस्तार किया गया हैं।

इस बजट मे कई नयी सेवाओं को भी सेवाकर के दायरे में षामिल किया गया है। किसी भी व्यापारिक संगठन के कर्मचारियों के मेडीकल रिकार्ड के लेखा जोखा रखे जाने पर अब सेवा कर लगेगा। इसी प्रकार चिकित्सालयों द्वारा किये जा रहे कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण और बीमा कंपनियों द्वारा दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं

भी सेवा कर के दायरे में आ जायेगी। इस वर्ड्ड बिजली एक्सचेंज से जुड़ी सेवाओ पर, लाटरी गेम, बिंगो इत्यादि के आयोजन पर, किसी फिल्म एवं गीत संगीत की कापीराइट सेवा एवं किसी व्यक्ति एवं संस्थान द्वारा किसी भी इंवेंट के व्यवसायिक उपयोग को भी सेवाकर के दायरे में ले लिया गया है। इसके परिणाम स्वरूप आई.पी. एल जैसी प्रतियोगिता भी अब सेवाकर के दायरे में आ गयी है। यहीं नही कॉमरर्षियल ट्रेंनिग अथवा कोचिंग, यदि किसी प्रतिफल के स्वरूप हैं, तो उसे सेवा की परिभाड्डा में षामिल कर लिया गया है भले ही वह लाभ प्राप्ति के लिए न भी हो।

बजट 2010 द्वारा आयकर में कटौती निष्चित ही सराहनीय है पर सेवाकर का दायरा बढ़ा एवं उत्पाद कर की दर वृद्धि से छूट को अपरोक्ष रूप में से आम आदमी से वापिस छीना जा रहा है। इन संषोधनों से मँहगाई एवं मुद्रास्फीति में इजाफा होना तय है। इस अहम् पहलू एवं उनके उत्तरप्रभाव पर भी वित्तमंत्री द्वारा मनन कर बजट प्रस्तावों में उचित संषोधन लाया जाना अपेक्षित है।